

रामहरि बनाम रामसहाय वगैरे

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र. १०/१५

फर्द अहकाम

११०२५५

१२-८-१६

वादी वकील श्री मदनमोहन शर्मा ने दावा वायल इसकराएक घोषणा खारिदारी तकास्मा रखाई निपेव्याशा पेश किया। सबलोकन किया। दावा डली रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादीगण जारी हो पत्रावली दिनांक १९-८-१६ को पेश हो।

२३६०-२९  
१२-८-१६

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

१९-८-१६

वादी वकील उप० प्रतिवादी नं. १ ता. ५ की ओर से श्री हंसराम गुर्जर A.W. ने वकालतनामा पेश करते समय चाले हुए प्रीमो पेश किया। प्रतिवादी नं. ५ ता. १०, २१, २२, २३, २६, २७, २९, ३० के सम्मन विपिक्त तामील हो चुके हैं। अब जूद सूचना उपलब्ध नहीं है इसके विवादाएक पक्षीप कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नं. ११ ता. २०, २५, २५ के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी नं. २४ का सम्मन वापिस प्राप्त नहीं हुआ है। वही वकालतनामा जब पेश वसे वस्तुतः तामील एवं तसदी दिनांक २६-८-१६ को पेश हो।

२६-८-१६ वकालत उपनिगतनुसार दिनांक २१-९-१६ को

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
16.1.18	वादी वकील उप। इ-होम उतिवादी नं। रामसहाय के कोत होजोकी जानकारी दी। पेश करने द. कायमुकाश व नोटिस दि 7.2.18 को पेश हो
7.2.18	वादी वकील उप। द. व नोटिस पेश करने दि 7.3.18 को पेश हो
7.3.18	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं है। कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी वादी एवं वादी वकील में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुंभार होकर नम्बर से कम होकर दारिखत दफतर हो।

जगदीश आर्य,  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभी